निर्णय व इजलास अन्तर सिह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 31/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. लालाराम उर्फ लाल्या पुत्र आन्या जाति माली, निवासी बुडथल तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री अशोक कुमार चौधरी आर ए एस अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ।
2. संजय कुमार मीणा पुत्र सुवालाल मीणा जाति मीणा निवासी 284, मीणों का मोहल्ला, ग्राम नींदड तहसील आमेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 67/2020 ब उनवानी लालाराम बनाम तहसीलदार आमेर को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. श्री ओम प्रकाश सैनी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री उमेश पुरोहित अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 01.03.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 67/2020 ब उनवानी लालाराम बनाम तहसीलदार आमेर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री उमेश पुरोहित ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी–अपीलार्थी की अपील में दिनांक 23.12.2020 से आगामी पेशी 17.02.2021 नियत की थी, परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 ने कपोल कल्पित, मनघढन्त एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर प्रकरण में दिनांक 12.01.2021 को शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया । जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर उसी दिन प्रार्थी को नोटिस जारी किया व नोटिस दिनांक 12.01.2021 को कलेक्ट्री परिसर से तहसील आमेर भिजवाया गया व 12 जनवरी को ही तहसील आमेर से 25 किलोमीटर दूर प्रार्थी को तामील हेतु

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned by CamScanner

प्राप्त हुआ। जिस पर प्रार्थी को बडा आश्चर्य हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय की मिलीभगत से प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र मन्जूर कर लिया तथा 12 जनवरी को ही नोटिस कलेक्ट्री से रवाना होकर तहसील आमेर पहुंच गया और उसी दिनांक को 25 किलो मीटर दूर प्रार्थी को प्राप्त हो गया। जबकि सिविल प्रकिया संहिता के साधारण नियम के अनुसार तामिल कुलिन्दा को नोटिस की तामील के लिये प्रतिदिन 8 किलोमीटर का समय दिया जाता है, परन्तु यह सब मिलीभगत के कारण हुआ है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। पीठासीन अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में आकर कर शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आगामी तारीख पेशी 25.01.2021 नियत कर दी । जबकि दिनांक 17.02.2021 व 25.01.2021 में मात्र 15 दिवस का अन्तर है। शीघ्र सुनवाई के दौरान प्रार्थी को बडी हैरानी हुई तथा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 के साथ आये अन्य बिचौलिये व्यक्ति ने प्रार्थी को कलक्ट्रेट परिसर बनीपार्क जयपुर में धमकी दी कि हमारी ए डी एम साहब से बात हो चुकी है जिस पर ए डी ए साहब प्रकरण को आगामी तारीख पेशी पर नियत कर प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निस्तारित कर देंगे। अभी हाल ही अप्रार्थी संख्या 2 व अन्य ने प्रार्थी को पुनः धमकी दी कि अब जल्दी ए डी एम साहब अपील खारिज कर देंगे, हमारी उनसे बात हो चुकी है तथा प्रार्थी को कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दें। इस पर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 व उसके साथ आये बिचौलिये व्यक्ति की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हुआ ? जब अप्रार्थी संख्या 2 व उसके उसके साथ आया बिचौलिया व्यक्ति अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है, तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायायल से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ कर के अप्रार्थी संख्या 2 के शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपील को खारिज करने पर आमदा है जिससे प्रार्थी अपने वैद्यानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। ऐसी स्थिति में न्याय की दृष्टि से प्रार्थी के मुकदमें को अन्य अदालत में हस्तान्तरण किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में जिस प्रकार तथ्य लिखे गये है वह गलत है। सही तथ्य यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील पर मुगालता आमेज कर कानूनन मियाद पर प्रथम सुनवाई किये बिना अन्तरिम आज्ञा प्राप्त की थी। जिससे मिन अप्रार्थी संख्या 2 के अधिकारों पर कुठाराधात हो रहा था। मिन अप्रार्थी द्वारा नजदीक सुनवाई हेतु आवेदन किया गया। इस मद में अंकितानुसार मिन उत्तरदाता की प्रार्थी से कभी कोई बातचीत नहीं हुई बिचौलिया की बात मिथ्या, कपोल कल्पित एवं मनगढन्त दर्ज की है तथा किस दिवस को बात चीत हुई कहीं उल्लेख नहीं है जबकि प्रकरण में दिनांक 1.02.2021, 3.02.2021 व 8.02.2021 को न्यायालय हाजा द्वारा राष्ट्रीय कार्य " वैक्सीननेशन" महत्वपूर्ण कार्य होने व उसमे व्यस्तता की वजह से तारीख पेशी दी जाती रही है । यही नहीं मिन उत्तरदाता प्रार्थना पत्र स्थगन व दफा–5 का जबाब भी प्रस्तुत कर चुके है, लेकिन प्रार्थी–अपीलान्ट ने उक्त प्रकरण में बहस को टालने एवं कानून विरूद्व

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned by CamScanner

आदेश दिनांक 23.12.2020 को कायम रखने हेतु स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से यह पाया गया है कि प्रार्थी ने प्रकरण में एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर रखा है और प्रकरण में दिनांक 23.12.2020 से आगामी सुनवाई दिनांक 17.02.2021 लगभग दो माह बाद की तारीख पेशी नियत थी। इसलिए शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया जाना अनुचित नही है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में बिचौलिये द्वारा धमकी देना अंकित किया है, किन्तु बिचौलिया का नाम व पता भी अंकित नही किया। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी अपने पक्ष में जारी एक पक्षीय आदेश को जारी रखने के लिए यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

1/3/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned by CamScanner